राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2271/2014 सीताराम धाकड़	1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, भरतपुर। 3. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, बयाना, जिला भरतपुर। 4. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना, जिला भरतपुर।	26.12.2014	श्री सुखवीर सिंह, अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं
2.	2272/2014 नारायण सिंह गुर्जर			
3.	2273/2014 लच्छीराम धाकड़			

आदेश की दिनांक : 25.11.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2271/2014 सीताराम धाकड़ बनाम निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे एवं शेष राशि सहित 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 एवं नियम 1959 के अंतर्गत उसकी नियुक्ति हुई थी। पंचायती राज विभाग के अधिसूचना दिनांक 06.08.1988 एवं 11.08.1989 जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो अध्यापक वर्ष 1988 में अस्थायी आधार पर नियुक्त किये गये थे, उनको संबंधित जिला परिषद नियम, 1959 के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया के आधार पर नियमित किया जाये और इस प्रकार अपीलार्थी की सेवायें सक्षम अधिकारी द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक से नियमित की गई और उक्त आदेश न तो निरस्त किया गया और न ही आज दिनांक तक संशोधित किया गया और अपीलार्थी निरंतर अपनी संतोषजनक सेवायें दे रहा है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवा दिनांक 01.07.2012 को पूर्ण होने पर उसे तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया और उसने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे एवं शेष राशि सहित 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थीगण को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में परीक्षण करें एवं अपीलार्थीगण यदि तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं तो उन्हें तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नियमानुसार प्रदान किया जावें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2271/2014 सीताराम धाकड़ बनाम निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य